प्रपत्र VI क

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर

(भू–अर्जन शाखा)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या–223 जमशदपुर, दिनांक–31.05.2017

चूंकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–कटासमारा, थाना–घाटशिला, थाना नं0–513, अंचल–चाकुलिया, जिला–पुर्वी–सिंहभूम, में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना ओ0आर0–60 (चिंगरा माईनर) लघु नहर निर्माण हेतु अपक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में प्राधिकृत किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–कटासमारा, थाना–घाटशिला, थाना नं0–513, अंचल–चाकुलिया, जिला–पूर्वी–सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश–2.94 एकड़ यानि 1.19 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन हैं .....

क 0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8			